

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)
 पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. धार, B.A.S.
 कार्य संख्या 5 / 2018
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956
 उनवान

जिला सीओ खातेदार श्री
 निवासी भीलवाड़ा
 वनाम - प्रार्थी/प्रार्थीगण
 श्री सीओ खातेदार श्री
 निवासी भीलवाड़ा
 उपस्थित :- श्री निवासी भीलवाड़ा
 श्री सीओ खातेदार श्री
 निवासी भीलवाड़ा
 निर्णय : दिनांक 21/2/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1174/354 का 0-14 हे

6/355 का 0-16 हे. किता 2 का 0-30 हे. 1174/354 का 0-14 हे
 7/355 का 0-05 हे. कुल किता 5 रकबा 0-61 हेक्टर का

प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण वादजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जगावन्दी ग्राम निवासी संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 5 रकबा 0-61 हेक्टर की पुरख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200 रूपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पूर्वा पेश करे। तहसीलदार शाहपुरा/ को सरे इजलास सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 21/2/18
 प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/
 पक्षकारान की मौजूदगी में निश्चानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(के. आर. धार)
 सहायक इलेक्टर
 शाहपुरा (सीकराहा)

(के. आर. धार)
 सहायक इलेक्टर
 शाहपुरा (सीकराहा)